मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-11.02.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को उनके विभागों में लंबित CWJC/MJC के मामलों की समीक्षा अपने स्तर से किए जाने का निर्देश दिया गया।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों में अब तक कुल लंबित CWJC/MJC मामलों पर चर्चा किया गया। CWJC/MJC की संख्या पिछले माह की तुलना में इस माह कमी आने पर उनके द्वारा संतोष व्यक्त किया गया व इसी प्रकार आगे भी लंबित मामलों की संख्या में कमी लाये जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने का निर्देश दिया गया।

4. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWCJ के मामले में पाँच अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इनमें ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं MJC मामलों में शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थय विभाग आदि शामिल हैं।

5. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के मामले में पाँच असंतोषजक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इनमें पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग। इन विभागों को लंबित मामलों में शीघ्रतापूर्वक प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने का निर्देश दिया गया।

6. बैठक में पंचायती राज विभाग को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभाग में लंबित CWJC मामलों के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा किया जाना चाहिए।

7. बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा उनके विभाग में लंबित मामलों के संदर्भ में बताया गया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों के निष्पादन एवं प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि उनके विभाग पर अधिक मात्रा में नये मामलों के कारण लंबित वादों की संख्या में वृद्धि हो रही है। फिर भी उनके स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

8. बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा SOF संबंधित अधिवक्ता को भेजा गया है, लेकिन काफी समय से Counter Affidavit तैयार नही किया जा रहा है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा ऐसे मामलों के विस्तृत सूची तैयार कर विधि विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

19/7/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/1930**जे0 पटना, दिनांक-**23.09.15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/1930**जे0 पटना, दिनांक-**23.09.15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।